

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

देवकाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. २३७..... सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म तामील न
12.12.2025	<p>ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सोमसीसर में कृषि भूमि खाता सं. 120 के ख.नं. 377 तादादी 4.4258 हैक्टेयर, ख.नं. 796/372 तादादी 0.5817 है0, ख.नं. 798/486 तादादी 0.079 है0 रोही ग्राम सोमसीसर भूमि का आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विभाजन मय नजरी नक्शा के तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया गया। भूमि वित्तिय संस्थान के रहन दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर के पत्र क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/04 दिनांक 25.09.2025 से प्राप्त प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम से सहखातेदारी दर्ज है तथा सभी सहखातेदार इकरारनामा खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। वित्तिय संस्थान के अनुपस्थित रहने पर उनके वित्तिय हित सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/04 दिनांक 25.09.2025 के अवलोकन उपरान्त विवादित कृषिभूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 120 के ख.नं. 377 तादादी 4.4258 हैक्टेयर, ख.नं. 796/372 तादादी 0.5817 है0, ख.नं. 798/486 तादादी 0.079 है0 रोही ग्राम सोमसीसर का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 798/486 मीन तादादी 0.0379 है0, ख. नं. 796/372 मीन तादादी 0.2908 है0, ख.नं. 377 तादादी 0.9326 है0 कुल किता 03 कुल तादादी 1.2613 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो देवकाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में, ख.नं. 377 मीन तादादी 1.2614 है0, कुल किता 01 तादादी 1.2614 है0 जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो पालाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा, ख.नं. 796/372 मीन तादादी 0.2909 है0, ख.नं. 377 मीन तादादी 0.9704 है0 कुल किता 2 कुल तादादी 1.2613 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है जो रामकुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में,</p>	

Devendra

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर
 देवकाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार
 किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. 277 सन् 2025

व हुकम

हुकम या कार्यवाही विवरण

नम्बर व
 अहकाम या
 हुकम की तारीख में
 जारी हुकम

ख.नं. 377 मीन तादादी 1.2614 है0 कुल किता 1 कुल तादादी 1.2614 हैक्ट. जिसे नक्शा में वरंग आसमानी से दर्शाया गया है जो हेतराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार खातेदारों का अलग से खाता विभाजन करते हुए दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शों में अमल दरामद करें। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./ग्रा.से.शि./25/4 दिनांक 25.09.2025 तथा नकल नक्शा व पटवारी रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Layenda

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान देवकाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार
दावा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 217 वर्ष 2025

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी देवकाराम, पालाराम, रामकुमार एवं हेतराम मिनजानिव मुदई एवं राजपैरोकार मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता तथा अतः वाद वादीगण यरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खाता सं. 120 के ख.नं. 377 तादादी 4.4258 हैक्टेयर, ख.नं. 796/372 तादादी 0.5817 है, ख.नं. 798/486 तादादी 0.079 है 0 रोही ग्राम सोमसीसर का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 798/486 मीन तादादी 0.0379 है, ख.नं. 796/372 मीन तादादी 0.2908 है, ख.नं. 377 तादादी 0.9326 है कुल किता 03 कुल तादादी 1.2613 हैक्ट. जिसे नक्शा में वरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो देवकाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में, ख.नं. 377 मीन तादादी 1.2614 है, कुल किता 01 तादादी 1.2614 है 0 जिसे नक्शा में वरंग हरा से दर्शाया गया है जो पालाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में, ख.नं. 796/372 मीन तादादी 0.2909 है, ख.नं. 377 मीन तादादी 0.9704 है कुल किता 2 कुल तादादी 1.2613 हैक्ट. जिसे नक्शा में वरंग काला से दर्शाया गया है जो रामकुमार पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में, ख.नं. 377 मीन तादादी 1.2614 है कुल किता 1 कुल तादादी 1.2614 हैक्ट. जिसे नक्शा में वरंग आसमानी से दर्शाया गया है जो हेतराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी सोमसीसर के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

... वावत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह वीज मुवलिंग
... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...1.2... माह ...1.2... सन 2025 को जारी की गई।

Jayendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर ववत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

मुहर